घोषणा

मैं .... एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए/उक्त विवरण सत्य और सही हैं ।

मैं यह भी आश्वासन देता हूँ कि यदि प्रस्तावित यात्रा, जिसके लिए अग्रिम लिया गया था, न किए जाने की दशा में, मैं शीघ्र ही पूरी छुट्टी यात्रा रियायत की अग्रिम राशि को वापिस कर दूँगा ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मैं आवेदन में लिखे गए स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान की यात्रा नहीं करूँगा ।

मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि अग्रिम लेने की तारीख से 90 दिन के अन्दर वापसी यात्रा न कर सकने पर अग्रिम की आधी राशि वापिस करूँगा ।

मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि किसी भी कारणवश मेरे पास बकाया अग्रिम की राशि को कार्यालय में जमा कराऊँगा ।

मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि अपनी/अपने परिवार के सदस्यों आदि की टिकटों की खरीद का साक्ष्य अग्रिम लेने की तारीख से, 10 दिनों के अन्दर अथवा यात्रा आरम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, प्रस्तुत करूँगा । मैं जानता हूँ कि उक्त जरूरत को पूरा न करने पर अग्रिम को मेरे अगले आहरित वेतन से सामान्यब्याज और $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से दण्ड स्वरूप ब्याज एक मुश्त में वसूल कर लिया जाएगा ।

मैं जानता हूँ कि यदि मैं छुट्टी यात्रा रियायत बिलों को वापसी यात्रा की तारीख से एक मास के अन्दर नहीं जमा करता तो लिया गया छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम मेरे अगले आधारित वेतन से सामान्य ब्याज और $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से दण्ड-स्वरूप ब्याज एक मुश्त में वसूल कर लिया जाएगा ।

.......2-

मैं यह भी जानता हूँ कि यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 माह के अन्दर यदि मैं बिल जमा नहीं करता तो मेरा दावा फोरफिट हो जाएगा ।

मैं यह भी समझता हूँ कि यदि स्वयं के लिए छुट्टी यात्रा रियायत लिया जाता है तो उसकी राशि की प्रतिपूर्ति तभी होगी जब यात्रा के किए किसी प्रकार की छुट्टी ली हो और सप्ताह की समाप्ति के अवकाश/अन्य अवकाश/वैकल्पिक अवकाश के दौरान नहीं ली हो ।

हस्ताक्षर :

पदनाम :

यूनिट अधिकारी की अभ्युक्ति

अग्रेषित । कालम 9 के अनुसार कर्मचारी ने आकस्मिक छुट्टी/अर्जित छुट्टी का आवेदन किया और उसे मंजूर किया गया है ।

यूनिट अधिकारी